'कंपनी का दृष्टिकोण''देश के लिए ऊर्जा, सुरक्षा एवं स्थायी विकास के साथ अपने एवं पार्श्ववर्ती इलाके का विकास करना तथा बाधाओं को अवसरो में बदलना"

'कंपनी का लक्ष्य''नवप्रर्वतनकारी एवं पर्यावरण हितैषी प्रद्यौगिकी के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर भरोसेमंद ऊर्जा का उत्पादन करना, उपलब्ध करना तथा समाज विकास में योगदान करना है ।"

विषय सूची

क्र .	विषय		
1.	प्रबंधन/बैंकर्स/लेखा निरीक्षक	-	1
2.	सूचना	-	2
3.	निदेशकों का प्रतिवेदन	-	4
4.	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन व प्रबंधक का उत्तर	-	13
5.	भारत के नियंत्रक व महालेखाकार की टिप् पणी	-	22
6.	31 मार्च,2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र	-	23
7.	31 मार्च,2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण	-	25
8.	तुलन पत्र एवं लाभ-हानि के विवरण के भाग पर टिप्पणी	-	27
9.	नगदी प्रवाह विवरणी	-	86

वर्तमान प्रबंधन

(27.04.2019 के अनुसार**)**

अध्यक्ष	श्री के आर वासुदेवन
निदेशक	श्री ओ पी सिंह
निदेशक	श्री अनवर हुसैन

वर्ष **2018-19** के दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष	श्री के आर वासुदेवन (12.02.2018 से)
निदेशक	श्री एल एन मिश्रा(18.01.2019 तक)
निदेशक	श्री जे पी सिंह(13.03.2019 तक)
निदेशक	श्री ओ पी सिंह(30.03.2017 से)
निदेशक	श्री अनवर हुसैन(22.03.2019 से)

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

सांविधिक लेखापरीक्षक

दास एंड दास**,**

चार्टर्ड अकाउंटेन,

भुवनेश्वर -751006

पंजीकृत कार्यालय का पता**:**

प्लॉट संख्या जी**-3,** गड़ाकना**,**चंद्रसेखरपुर भुवनेश्वर**-751017 (**ओड़िशा**).**

महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: जी-3 गडकना, चंद्रशेखरपुर
भुवनेश्वर-751017

सूचना

8 वीं वार्षिक सामान्य बैठक

सूचना दी जाती है कि महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड के सदस्यों की 8 वीं वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 25 मई, 2019, शनिवार को पूर्वाह्न-11.30 बजे एम.सी.एल. कार्यालय, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, ओडिशा-768020 में निम्नलिखित कार्यों के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आयोजित होगी।

सामान्य कार्य:

1. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लेखा परीक्षित लेखा, लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन तथा निदेशकों के प्रतिवेदन को प्राप्त करने, उन पर विचार करने तथा उसे स्वीकार करने हेतु।
2. बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णायानुसार सांविधिक लेखा परीक्षक में दास एंड दास, सनदी लेखाकार, सांविधिक लेखा परीक्षक, भुवनेश्वर, जिन्हें भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए नियुक्त किया गया था, को देय पारिश्रमिक की स्वीकृति देना और इसे लागू करने हेतु निम्नलिखित संकल्प पारित करने हेतु।

"निदेशक मंडल के निर्णयानुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 (1) एवं (2) के प्रावधानों एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों तो, उसके तहत् वित्तीय वर्ष201 8-19 के कंपनी के लेखा की लेखा परीक्षा के लिए प्रमुख लेखा परीक्षक मेसर्स दास एंड दास, सनदी लेखाकार, भुवनेश्वर के पारिश्रमिक, यात्रा भत्ता एवं जेब खर्च की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति तथा भुगतान के लिए संकल्प लिया गया।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड

ह-/
(ए.के. सिंह)

स्थान: सम्बलपुर
दिनांक: 27.04.2019
पंजीकृत कार्यालय :
प्लॉट संख्या. जी-3, मंचेश्वर रेलवे क्लॉनी, भुवनेश्वर- 751017

टिप्पणी :

1. बैठक में भाग लेने और मतदान करने के हकदार सदस्य को खुद के बजाय भाग लेने और वोट करने के

   लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य नहीं होना चाहिए। बैठक में भाग लेने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने का विचार रखने वाले कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने और उनकी ओर से वोट देने के लिए प्राधिकृत करने वाले बोर्ड संकल्प की एक प्रमाणित प्रति भेजें।
2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 (1) के तहत प्रावधानों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक को अल्पावधि के सूचना पर बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
शेयरधारक,
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड
.

मुझे, निदेशक मंडल की ओर से आपकी कंपनी का 8वां प्रतिवेदन और सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन एवं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सहित 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

आपकी कंपनी महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (एक-एसपीवी) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) को 02.12.2011 की पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी है। एसपीवी का निगमन महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के रूप में हुआ है जिस का पंजीकृत कार्यालय प्लॉट संख्या - जी-3 गड़ाकना, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर -751017 (ओड़िशा) में है और कंपनी पंजीयक कटक ने व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र दिनांक 06.02.2012 को जारी किया।

कंपनी सुंदरगढ़ में 2X800 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना प्रचालित और विकसित अनुरक्षित करने के लिए एमसीएल की और से प्रस्ताव आमंत्रित करेगी,यह ईपीसी के आधार पर होगा

वित्तीय प्रदर्शन :- :

विवरण	**2018-19 (रु में)**	**2017-18 (रु में)**
वर्ष के लिये आय	0	0
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय के अलावा वर्ष के लिए व्यय	2.84	2.51
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय से पूर्व लाभ एवं हानि	(2.84)	(2.51)
कम मूल्य और परिशोधन व्यय	0.55	0.96
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय के पश्चात लाभ एवं हानि, कर से पहले।	(3.40)	(3.46)
न्यूनः वर्तमान कर	0	0
कर के पश्चात लाभ एवं हानि	(3.40)	(3.46)

कंपनी निर्माण के चरण में है एवं परिचालन गतिविधियाँ अभी तक शुरू नहीं किया गया है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान परियोजना के कारण कंपनी के सभी व्यय पूंजीकृत किया एवं अन्य अप्रत्यक्ष व्यय "लाभ एवं हानि विवरण" में दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने ₹ रु 2369.11 लाख असुरक्षित दीर्घकालीन ऋण के तौर पर महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) से लिया है।

कंपनी के वित्तीय विवरण के अंतर्गत भारत में (भारतीय जीएएपी) आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3 सी) (जो कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7, कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 133 के संबंध में लागू रहेगा) अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुपालन हेतु और कंपनी अधिनियम 1956 /कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधनों जो भी लागू हो एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी" "SEBI") द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। यदि शुरू में अपनाया गया या मौजूदा मानक लेखांकन के संशोधन के लिए लेखांकन नीति के अब तक के उपयोग में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो जारी किए गए नए लेखांकन मानक को छोड़कर लेखांकन नीतियों को सतत लागू किया गया है। प्रबंधन ने हाल ही में चलित आधार पर जारी किए गए या संशोधित किए मानक लेखांकन का मूल्यांकन किया है। कंपनी ने त्रैमासिक एवं वार्षिक आधार पर स्टैंडअलोन लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम की घोषणा की है।

लाभांश: -

वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी प्रकार का लाभांश घोषित नहीं किया है।

रिजर्व: -

कंपनी ने भंडार में किसी भी प्रकार के राशि का हस्तांतरण नहीं किया है।

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (एसपीवी) की भूमिका इस प्रकार हैः

क. स्थल का चिन्हिकरण
ख. भूमि का अधिग्रहण
ग. जल संबद्धता, ईंधन संबद्धता आदि प्राप्त करना
घ. विभिन्न तकनीकी अध्ययन करना और परियोजना सूचना रिपोर्ट तैयार करना
ङ. सभी सांविधिक मंजूरियां प्राप्त करना अर्थात पर्यावरणीय, वन, रक्षा, विमानन आदि
च. एमसीएल/एमबीपीएल के बिजली संयंत्र की विशिष्टता के लिए तैयारी, खुली निविदा के माध्यम से उपयुक्त ईपीसी (EPC) ठेकेदार की चयन, पूर्व संविदा सेवा, पोस्ट संविदा सेवा, परियोजना निगरानी सेवा संयंत्र नियंत्रण सेवा, ओ एंड एस दस्तावेजों की समीक्षा, गुणवत्ता आश्वासन, परीक्षण, सेवा और साइट इंजीनियरों की पोस्टिंग और बिजली संयंत्र के लिए बची हुई जरूरी नौकरियों के लिए सेवा प्रदान करने हेतु कोंसल्टेंसी एवं इंजीनियर का चयन।

कंपनी की गतिविधियां - वर्तमान स्थिति:

भूमि:

एमसीएल द्वारा भूमि कोयला धारित क्षेत्र अधिनियम, 1957 के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण किया गया था। दिनांक-12.07.2016 को निम्न शर्तों एवं निबंधन के आधार पर 50 वर्ष की अवधि के लिए एमबीपीएल के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के उद्देश्य के लिए टिकियापारा, सर्डेगा तथा गोपालपुर गाँव के एक भाग पर एमबी पीएल के लिए एमसीएल द्वारा अधिगृहीत 858.60 एकड़ भूमि के पट्टे के लिए एमसीएल ने "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन प्रदान किया है।

i) यह पट्टे पर उपरोक्त भूमि के लिए एमबीपीएल के अधिकार को शामिल नहीं करेगा। न ही इसे एमबीपीएल को विमुख करने का या अपनी इच्छा से उसका निपटान करने का हक होगा, इसलिए, एमबीपीएल ऐसे किसी बाधा का सृजन नहीं करेगा जो भूमि के अलगाव या निपटान के समान हो।
ii)इस पट्टे में किसी भी पहलू से उत्पन्न होने वाले मामले या विवाद की स्थिति में इसे एमसीएल को विचारार्थ भेजा जाएगा iii) इस मामले में उसका निर्णय एमबीपीएल के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।
.
यह अनुमति इस आधार पर दी जाती है कि एमबीपीएल कंपनी अधिनियम में पारिभाषित रूप में एक सरकारी कंपनी बनी रहेगी, यह अनुमति तब समाप्त हो जाएगी, जब एमबीपीएल एक "गैर सरकारी कंपनी" बन जाए। इस आशय का एक खंड पट्टा-समझौते में शामिल किया जाएगा।

भूमि लीज़ के लिए एमओयू प्रस्ताव का मसौदा एमसीएल को जमा कर दिया गया है। लीसिंग करार की औपचारिकताएँ एक समिति द्वारा एमसीएल मुख्यालय में की जा रही है।

वन भूमि परिवर्तन:
वन भूमि परिवर्तन का प्रस्ताव पीसीसीएफ कार्यालय को 22.04.2013 को प्रस्तुत किया गया। एमबीपीएल से 07.06.2013 को राज्य क्रम संख्या 595/13 प्राप्त हो गया। वन का 100% भूमि सीमांकन एवं वृक्ष गणना का काम मेसर्स पीएफ़सीसी लिमिटेड द्वारा पूरा किया गया। सुंदरगढ़ कलेक्टर को गोपालपुर, सरडेगा एवं टिकिलीपरा गाँव में पल्ली सभा आयोजित करने हेतु पत्र भेजे गए है। स्तंभ पोस्टिंग का कार्य पूरा हो गया है डीजीपीएस सर्वेक्षण के प्रभावीकरण के लिए ओआरएसएसी को डीजीपीएस की और से दिनांक 30.05.2016 को आवश्यक शुल्क जमा किया गया। ओआरएसएसी टीम पिल्लर्स के अधूरे/गायब होने, व्यस्त संयंत्र के लिए क्षेत्र की पहचान और सुरक्षा संबंधी मुद्दों के कारण सर्वेक्षण कार्य को नहीं कर सकें। ओआरएसएसी की इच्छानुसार मिसींग पिल्लर्स की पोस्टिंग संख्या के साथ पूर्ण कर ली गई है। ओआरएसएसी द्वारा सूचना के अनुसार डीजीपीएस सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। ओआरएसएसी से डीजीपीएस मानचित्र के प्रमाणीकरण की प्राप्ति के बाद वन निकासी के लिए वन भूमि परिवर्तन का प्रस्ताव वन विभाग, ओडिशा सरकार की वेबसाइट पर अपलोड होगा।

आईपीआईसीओएल से एकल खिड़की अनुमतियां:
आईपीआईसीओएल को दिसंबर, 2011 में आवेदन दिया गया। आईपीआईसीओएल ने आवेदन ओड़िशा सरकार के जरिए भेजने की सलाह दी। ओड़िशा सरकार ने अप्रैल 2012 में आवेदन स्वीकार करने के लिए आईपीआईसीओएल को निर्देश दिए। आवेदन मई 2012 में आईपीआईसीओएल को प्रस्तुत किया गया। रुपए 1000 की आवश्यक फीस और 50 क्यूसेक जल आबंटन हेतु प्रपत्र "जे" सहित रुपए 75,00,000/- की राशि का प्रतिभूति जमा 19.02.2013 को जल संसाधन विभाग को प्रस्तुत किया गया है। जल संसाधन विभाग ने 50 क्यूसेक जल आबंटन की अनुशंसा की। राज्य स्तरीय एकल खिड़की मंजूरी, उच्च स्तरीय मंजूरी प्राधिकार ओड़िशा सरकार ने दिनांक 29.09.2015 में 16 वीं बैठक में सैद्धांतिक रूप से परियोजना को मंजूरी दी है, इस के अलावा ओड़िशा सरकार के जल आवंटन समिति में दिनांक 25.02.2015 को आयोजित 61 वीं बैठक में जनसंपर्क के लिए दिनांक 24.11.2015 में निजी सचिव

(डबल्यूआरडी) को एमबीपीएल के प्रस्तावित टीटीपी को हीराकुद जलाशय से 49 क्यूसेक जल के आवंटन हेतु सिफारिस की गई है। दिनांक 13.01.2016 को आयोजित एसएलएसडबल्यूसीए के 59 वीं बैठक में आईपीआईसीओएल ने एमबीपीएल, एमसीएल की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के 2 X 800 मेगावाट की बिजली परियोजना के अनुमोदन की पृष्टि दर्शाते हुए संप्रेषित किया है जिस से राज्य सरकार को पूरी लागत पर बिजली का 50% मिलेगा।

पर्यावरणीय अनुमति:

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओड़िशा को जन सुनवाई करने हेतु 14.02.2013 को वांछित शुल्क सहित रेपिड ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। संबंधित जिला व पंचायत प्राधिकरणों के सहचर्य में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा टिकिलीपड़ा, सुंदरगढ़ जिला में जगन्नाथ मंदिर में 27.11.2013 को जनसुनवाई आयोजित हुई। सभी दस्तावेजों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत की गई है। एमबीपीएल मामले की सुनवाई (i) कोल लिंकेज (ii) जल लिंकेज (iii) फ्लाईएश के उपयोग की योजना के मिलने के वाद होगी। सदस्य सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कोयला संबद्धता एवं जल आवंटन फर्म की प्राप्ति के पश्चात दिनांक 08.10.2017 पर चुनाव आयोग के अनुदान के विचार के लिए आगामी ईएसी में सुनवाई हेतु परियोजना सूची में प्रविष्ट करने के लिए अनुरोध किया है।

.

ईंधन संबद्धता:

एमसीएल ने विद्युत परियोजना हेतु कोयले की संबद्धता आबंटन के लिए कोयला मंत्रालय को 23 नवंबर, 2011 को पत्र लिखा। एमसीएल ने पुनः 14 मई, 2012 और 22.09.2012 को अनुरोध किया। एसएलसी एमओसी विशेष छुट मार्ग एमओसी के माध्यम से प्रस्तावित एसटीपीपी के लिए 9.0 एमटीपीई का कोयला आवंटन हेतु सिपरिश की है एवं सभी औपचारिकताओं के अवलोकन के बाद कोयला लिंकेज आवंटन के लिए आवेदन करने की सलाह दी है। एमसीएल ने दिनांक 03.04.2015 को कोयला लिंकेज के जारी करने हेतु पुष्टि पत्र के लिए एमओसी के अतिरिक्त सचिव से अनुरोध किया है। जैसी वंछित केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय को कोल लिंकेज के लिए नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत किया गया दिनांक 01.11.2015 को एमबीपीएल के परियोजना साइट का सीईए टीम ने दौरा किया। वांछित रूप में आवश्यक सूचना युक्त दस्तावेजों को सीईए को दिनांक-04.02.2016 को जमा किया गया। सीईए ने कोल लिंकेज पर विचारार्थ मामले को दिनांक 11.03.2016 के पास सिफारिश की। जांच के पश्चात, एमओपी द्वारा स्पष्टीकरण किया गया तथा उसे दिनांक 13.05.2016 को प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार द्वारा नई कोयला संबद्धता नीति को अपनाए जाने के पश्चात, मुख्य विद्युत प्राधिकारी (सीईए), नई दिल्ली की सलाह पर दिनांक 27.05.2017 को सीईए के माध्यम से ऊर्जा मंत्रालय को नया आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

स्थायी लिंकेज कमेटी (एसएलसी), कोयला मंत्रालय ने दिनांक 29.06.2017 की अपनी बैठक में एमसीएल के एमबीपीएल को कोयला लिंकेज जारी करने के लिए सीआईएल को अनुशंसा की है इस संबंध में पत्र संख्या: 23014/3/2017-CLD दिनांक 17/07/2017 का अवलोकन करें। 25.08.2017 की सीएलओए बैठक

के दौरान एसएलसी की सिफारिश के अनुसार कोल इंडिया द्वारा फर्म कोयला आवंटन दिया गया है। सीएलओए ने सिफारिश दी है कि आवश्यक वाणिज्यिक औपचारिकताओं को देखने के बाद एमसीएल के एमबीपीएल के संयंत्र को एलओए जारी किया जा सके।

कोयला परिवहन अध्ययन:

प्राथमिक जांच के आधार पर प्रारंभिक रिपोर्ट जून, 2012 में एमसीएल को प्रस्तुत की गई। कोयले का परिवहन लगभग 8-10 किलोमीटर की पाईप कन्वेयर के जरिए परिवहन का प्रस्ताव है।

नगर विमानन (चिमनी ऊंचाई के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र):
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से ऊंचाई निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुमोदित किया गया तथा उसे दिनांक- 30.05.2016 को जारी किया गया।
रक्षा (चिमनी ऊंचाई के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र):
रक्षा मंत्रालय से हाईट क्लीयरेंस के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुमोदित किया गया तथा उसे दिनांक- 12.06.2017 को जारी किया गया।

संयुक्त उद्यम की स्थिति:

दिनांक 12.08.2016 को बिजली उत्पादन के लिए एमसीएल /सीआईएल और एनएलसी इंडिया लिमिटेड के बीच जेव्हीसी बनाने हेतु विशेष सचिव कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई है, चूंकि एमसीएल के पास पावर व्यवसाय में कोई विशेषज्ञता प्राप्त नहीं है।.

दिनांक 10.11.2016 को एमबीपीएल बोर्ड की आयोजित 25 वीं बैठक में जेवी मोड को अपनाने के लिए और इक्विटी पूंजी के पुनर्गठन के लिए '"सिद्धांतः" सहमत हुए और इसे लागू करने हेतु एमसीएल बोर्ड और सीआईएल बोर्ड से अनुमोदन सिफारिश की ।

दिनांक 10.06.2017 को आयोजित एमसीएल बोर्ड की 192 वीं बैठक में एमबीपीएल में इक्विटी पूंजी का पुनर्गठन और एनटीपीसी के साथ जेवी मोड को अपनाने के लिए आगे के विचार-विमर्श और अनुमोदन के लिए सीआईएल से उक्त प्रस्ताव की सिफारिश करने के लिए बोर्ड ने सहमति व्यक्त की ।

तदनुसार, सीएमडी, एमसीएल इस प्रस्ताव से विधिवत सहमत हुए यह प्रस्ताव को महाप्रबंधक(पीएमडी),सीआईएल, अनुमोदन के लिए दिनांक 24.08.2017 को भेज दिया गया है दिनांक 04.10.2017 को सीआईएल द्वारा यथावांछित स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत किया गया है।महाप्रबंधक (पीएमडी),सीआईएल ने सूचित किया गया है कि इस प्रस्ताव को सीआईएल के अगले ईएससी के लिए रखा जाएगा।

सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनी-

आपकी कंपनी महानदी कोलफील्ड्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और जिसके पास कोई भइयो सहायक/ संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

सावधि जमा:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 एवं इसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान जनता से किसी भी प्रकार का जमा स्वीकार नहीं किया है।

जोखिम प्रबंधन:

प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया हेतु कंपनी ने विभिन्न कार्यक्षेत्रों में जोखिम की पहचान, आकलन एवं नियंत्रण को महत्व देते हुए पारंपरिक, आंतरिक एवं बाहरी जोखिमों पर आवशक नियंत्रण हेतु नियमित उपाय किए जाते हैं। भू अधिग्रहण, वन अनुमति, पर्यावरण संबंधी समस्याएँ कुछ महत्वपूर्ण कारक है जिन पर प्रबंधन द्वारा लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है।

सतर्कता तंत्र/ व्हिसल ब्लोवर नीति:

एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी की गतिविधियां सी एंड एजी, सतर्कता, सीबीआई आदि द्वारा लेखा परीक्षा के लिए खुले हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:

कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व महानदी बेसिन पावर लिमिटेड पर लागू नहीं है।

पूंजी संरचना:

दिनांक 31.03.2018 में कंपनी की अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी पर 5 लाख के इक्विटी शेयर को 50,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित कर प्रत्येक का 10 रूपए का इक्विटी शेयर रहेगा। 31.3.2018 को कंपनी की पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 5,00,000 रुपये पर छूट दी गई है। दिनांक 31.03.2018 को कंपनी के चुकता किए गए इक्विटी शेयर पूंजी 5 लाख रु. पर अप्रभावी रहेगा। संपूर्ण इक्विटी शेयर कैपिटल महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) और इसके नामांकित कंपनियों द्वारा आयोजित कीए जाते है।

संगठनात्मक संरचनाः-

कंपनी अधिनियम,2013 के अनुसार एस.पी.वी में एसोसिएशन ज्ञापन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के 7 अंशदाता है एवं एसपीवी बोर्ड में एमसीएल के सी.एम.डी द्वारा 3 निदेशक चयनित है, एस.पी.वी. बोर्ड ने पर्यवेक्षक को नियंत्रण में एस.पी.वी के दैनिक गतिविधियों के निष्पादन हेतु एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी की तैनाती भी की गई है।

कार्यात्मक सहायता:

कंपनी को एसपीवी की स्थापना और सुचारु रूप से कारी- संचालन के लिए सभी का सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें सुसज्जित कार्यालय स्थल सहित टेलीफोन,फ़ैक्स,कम्प्युटर, वाहन एवं एसपीवी के दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक अन्य प्रशासनिक सुविधाएं शामिल है। प्रशासनिक एवं कर्मचारी सहायता सहित एसपीवी के पृथक लेखा शीर्ष में दी गई लागत का आवंटन किया जा रहा है, जिसमें एसपीवी में एमसीएल द्वारा इक्विटी में योगदान हेतु ब्याज का गठन किया जाएगा।

ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेशन और विदेशी मुद्रा का उपार्जन तथा व्यय:

कंपनी द्वारा ऊर्जा संरक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं की गई है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा तकनीकी का अधिग्रहण नही किया गया है। वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा आयात तथा निर्यात से संबन्धित गतिविधियां नहीं की गई है। वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार की विदेशी मुद्रा का व्यय तथा विदेशी मुद्रा का आय नहीं किया गया।

निदेशक मण्डल:

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के निदेशक मण्डल में दिनांक 31.03.2019 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों को निदेशक नामित किया गया है:

नाम	पदनाम	प्रभावी तिथि
श्री के.आर. वासुदेवन (डीआईएन: 07915732)	अध्यक्ष	18/01/2019
श्री ओ.पी. सिंह (डीआईएन: 07627471)	निदेशक	30/06/2017
श्री अनवर हु सैन (डीआईएनः 08407634)	निदेशक	22/03/2019

बोर्ड संरचना का ब्यौरा, निदेशकों की व्यक्तिगत उपस्थितियाँ:

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	**बैठक का स्थान**
1	31वां बोर्ड बैठक	27.04.2018	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला सम्बलपुर
2	32वां बोर्ड बैठक	24.05.2018	एमसीएल कार्यालय, भुवनेश्वर
3	33वां बोर्ड बैठक	29.07.2018	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला सम्बलपुर
4	34वां बोर्ड बैठक	23.10.2018	एमसीएल कार्यालय, भुवनेश्वर
5	35वां बोर्ड बैठक	26.12.2018	एमसीएल कार्यालय, भुवनेश्वर
6	36वां बोर्ड बैठक	21.01.2019	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला सम्बलपुर
7	37वां बोर्ड बैठक	23.03.2019	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला सम्बलपुर

वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड संरचना का ब्यौरा, निदेशकों की व्यक्तिगत उपस्थितियाँ:

निदेशकों का नाम	श्रेणी	बोर्ड की बैठक	
		कार्यकाल के दौरान	उपस्थिति
श्री एल.एन. मिश्रा	नॉन-एक्जेक्यूटिव	05	05
श्री जे.पी. सिंह	नॉन-एक्जेक्यूटिव	06	06
श्री ओ.पी. सिंह	नॉन-एक्जेक्यूटिव	07	06
श्री के.आर .वासुदेवन	नॉन-एक्जेक्यूटिव	07	07
श्री अनवर हु सैन	नॉन-एक्जेक्यूटिव	00	00

कंपनी अधिनियम,2013 की धारा-186 के अंतर्गत ऋण, प्रत्याभूति या निवेश:
वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई ऋण, प्रतिभूति या निवेश नहीं किया है।

कंपनी अधिनियम,2013 के धारा-188 के अंतर्गत संबंधित पार्टियों के साथ संविदा विवरण एवं व्यवस्था:
वर्ष के दौरान कंपनी का किसी भी संबन्धित पार्टियों के साथ कोई भी अनुबंध या करार नहीं हुआ है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण :-
प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा उनके सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर यह पुष्टि की जाती है की आपकी कंपनी के निदेशक गण द्वारा कंपनी आधिनियम, 2013 की धारा-134(3) (सी) के तहत निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया गया है :

क. 31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की प्रस्तुति में सामग्रियों के प्रस्थान संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा के मानकों (लेखों पर नोट के खुलासे के अलावा) का अनुसरण किया गया है।

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीति का चयन कर उसका सुसंगत प्रयोग किया एवं उचित तथा विवेकपूर्ण नियम सहित आकलन किया ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति तथा आलोच्य वर्ष में कंपनी के लाभ एवं हानि की सही जानकारी दी जा सके।

ग. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं आय अनियमितताओं का पता लगाने,निवारण हेतु कंपनी आधिनियम के प्रावधान के अनुसार समुचित लेखा रेकॉर्ड के अनुरक्षण के लिए निदेशकों द्वारा उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

घ. वित्तीय वर्ष समाप्त 31.03.2019 के लिए क्रियाशील कारोबार के आधार पर लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

ङ. उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कार्य कर रहे है एवं वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त और प्रभावी रूप से संचालित है।

च. सभी उचित प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, निदेशकों ने उचित प्रणाली तैयार किया है

सांविधिक लेखा परीक्षक:
कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के सी एंड एजी,नई दिल्ली के द्वारा मेसर्स दास एंड दास, चार्टड अकाउंटेंट्स (एसपीओ 205) 22 मेट्रो कॉटेज, प्रथम तल, चिंतामनेश्वर मंदिर लेन, कटक रोड, भुवनेश्वर को वर्ष 2018-19 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है।

लेखा परीक्षक प्रतिवेदन:

वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के तहत वित्तीय विवरण मेसर्स महानदी बेसिन पावर लिमिटेड पर प्रबंधन द्वारा दिया गया जवाब यदि कोई हो तो, योग्यता,आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या परीक्षकों द्वारा अस्वीकृत प्रतिवेदन अनुलग्नक में शामिल की गई है।

सी एंड ए.जी. टिप्पणियाँ :-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी जो कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्त हुई है, में महानदी बेसिन पावर लिमिटेड पर की गई टिप्पणियों को भी संलग्नित किया गया है।

कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों का अनुपालन

कंपनी ने सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।

.वार्षिक रिटर्न का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (1) और कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन)नियम 2014, के नियम 12 (1) के अनुसार, वार्षिक रिटर्न (फॉर्म नंबर एमजीटी -9) को एमसीएल के वेबसाइट पर नीचे दिए गए लिंक में अपलोड किया गया है: http://www.mahanadicoal.in/Financial/annual_report.php

आभार-

क. आपके निदेशकगण, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड का उनके मूल्यवान सहायता समर्थन और मार्गदर्शन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशक केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और ओड़िशा की राज्य सरकार का भी उनके मूल्यवान समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

ख. लेखापरीक्षकों, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक और कंपनी पंजीयक ओड़िशा के अधिकारियों ओर कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की प्रशंसा करते हैं।

ग. निदेशक, सुंदरगढ़ के विभिन्न महत्वपूर्ण नागरिकों और ओड़िशा के कोयलांचल के निवासियों का भी समय-समय पर उनके सहयोग के प्रति उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

परिशिष्ट :

निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न है:-

1. कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 139 के अंतर्गत नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट।
2. धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणी, कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाए।

ह/-
(के.आर .वासुदेवन)
अध्यक्ष
(डीआईएन: 07915732)

स्थान: भुवनेश्वर
तिथि: 27.04.2019

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में

सदस्यगण

मेसर्स महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड

भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणी:

हमने 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड के संलग्न तुलनपत्र एवं लाभ-हानि लेखा के साथ-साथ उसी तिथि को समाप्त वर्ष के भारतीय लेखांकन मानक के नकद प्रवाह विवरणी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों व अन्य विवरणात्मक सूची की लेखापरीक्षा की है। (भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणी में उल्लेखित)

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 134(5) ('द एक्ट') की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रस्तुत इन विवरणियों में कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का, भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 133, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाए, में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नगदी प्रवाह के सत्य और सही प्रकटन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है।

कंपनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है कि वे कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथोचित लेखा अभिलेखों को बनाए रखें जो धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने के लिए यथोचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करने, उचित व विवेकपूर्ण निर्णय व अनुमान करने व ऐसी यथोचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू करने व बनाए रखने, जो प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करती हो, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित हो और सत्य व निष्पक्ष कथन का आलोकन कराती हो और जो किसी धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से होने वाली मिथ्या कथन से मुक्त हो।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणियों के आधार पर अपना मत व्यक्त करना है ।

लेखा परीक्षण करते समय हमने लेखा परीक्षा अभिलेखों में शामिल किए जाने वाले आवश्यक अधिनियम के प्रावधानों, अधिनियम के तहत ऐसे प्रावधानों को जो लेखा व लेखापरीक्षा मानकों एवं तदाधीन नियमों को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। ये मानक नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार योजित व निष्पादित किया है कि हमें जो भारतीय लेखांकन मानक का वित्तीय विवरण प्राप्त हुआ है, उसमें किसी मिथ्याकथन के न होने के प्रति हम आश्वस्त है।

लेखापरीक्षा में भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणियों में राशि और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय और वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण मिथ्या कथन के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है चाहे यह धोखे से हो अथवा चूक से। इन जोखिम मूल्यांकनों को करने में लेखापरीक्षक कंपनी के संगत आंतरिक नियंत्रण और परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा अपनाने में वित्तीय विवरणियों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता व भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल हैं।

हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा-परीक्षा का साक्ष्य पर्याप्त है तथा भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा राय पर बनाने के लिए आधार प्रदान करने हेतु उपयुक्त है।

मत

हमारे मत में, हमारी पूर्ण जानकारी में और हमें दिए गये स्पष्टीकरण के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणियों में शामिल तथा भारत में प्रायः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांत सत्य की जानकारी देते है, जो कि दिनांक 31.03.2019 में कंपनी के मामलो की स्थिति एवं वर्ष के अंतिम तिथि के नकद प्रवाह से संबन्धित हैं।

(i) 31 मार्च 2019 तक कंपनी की स्थिति के तुलन पत्र के मामले में;

(ii) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए हानि के, लाभ और हानि के बयान के मामले में; तथा

(iii) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की स्थिति में, नकद प्रवाह विवरण के मामले में।

मामलों का महत्तव:

हम नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निष्कर्षों के संबंध में टिप्पणी संख्या-25(1) के सूचना बिन्दू 2 एवं 3 को ध्यान में लाना चाहते हैं। जिसमें कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित रू 2.20 लाख का राजस्व व्यय और रू 500.45 लाख का प्रारंभिक व्यय, पूर्व अवधि से संबंधित को पूंजीकृत किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रभारित लाभ व हानि विवरणी तथा परियोजना से सीधे संबंध नहीं रखता है।

इस संबंध में हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि 31.03.2018 को समाप्त हुए पिछले वर्ष के तुलनात्मक आंकड़ों को प्रभावी बनाने हेतु उसे पुनः वर्णित किया गया है। लेकिन 31.03.2018 को समाप्त हुए वर्ष के लेखा

परीक्षण में वित्तीय विवरणों का संशोधन नहीं किया गया और इसके परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी के आय से संबंधित शेष आंकड़े पिछले वर्ष के लेखा परीक्षण किए गए वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किये गए हैं। उपरोक्त के संबंध में हमारी राय योग्य नहीं है।

अन्य वैधानिक और नियामक आवश्कताओं पर रिपोर्ट

i) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के उप-खंड (11) के संबंध में भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) के अनुसार अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार हम आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण अनुलग्नक-क में देते हैं।

ii) अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) के अनुसार वांछित रिपोर्ट इस प्रकार हैं-क) हमने उन सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण को प्राप्त कर लिया है जो हमारी जानकारी के अनुसार अंकेक्षण के लिए जरूरी तथा भरोसेमंद था।

ख) हमारे विचार से कानून के अनुसार सभी वांछित लेखा बही कंपनी द्वारा उपस्थापित किया गया जो लेखा बही जांच के लिए आवश्यक था।

ग) तुलन-पत्र जिसमें लाभ और हानि का विवरण तथा रोकड़ उपयोग को इस रिपोर्ट में लेखा-वही करार के साथ प्रस्तुत किया गया है।

घ) हमारे विचार से कंपनी अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत लेखा के विशिष्ट मानक को उपर्युक्त भारतीय मानक लेखांकन वित्तीय विवरण में पालन किया गया है जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 में निहित है।

ड़) निदेशक बोर्ड द्वारा दिनांक 31.03.2019 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदन के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 164(2) के शर्तों के अनुसार 31.03.2019 तक नियुक्त किये गये किसी भी निदेशक को आयोग्य करार नहीं दिया गया।

च) कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के पर्याप्त और ऐसे नियंत्रण के प्रचालन प्रभाव से संबंधित प्रतिवेदन अलग से संलग्न किये गए हैं।

छ) कंपनी अधिनियम, 2014 के नियम, 11(लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) के तहत् अन्य मामलों से संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के संदर्भ में हमारी राय तथा हमारी जानकारी को स्पष्ट करने हेतु स्पष्टीकरण दिया गया।

i) कंपनी के पास कोई भी लंबित मुकदमा नहीं है, जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है।

ii) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंध सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए निकट भविष्य में वस्तु हानि थी।

iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने हेतु कोई राशि नहीं थी।

कंपनी अधिनियम, 2013 के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 143(5) के कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रतिवेदनः-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रतिवेदनों को '**अनुलग्नक-सी**' संलग्न किया गया है। ऐसे निर्देशों पर कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी प्रारंभिक चरण में है और इसका कंपनी के खातों और वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

स्थान- भुवनेश्वर
दिनांक : 27.04.2019

कृते दास एंड दास की ओर से
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः322926 ई
ह/-
राजेन्द्र कुमार दास, एफ.सी.ए.
भागीदार
सदस्यता संख्या-057342

अनुलग्नक-क

लेखा परीक्षक प्रतिवेदन का अनुलग्नक

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड) "कंपनी") के सदस्यों को संदर्भित हमारे रिपोर्ट का अनुलग्नक। हम रिपोर्ट करते हैं किः-

1. (क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और निश्चित परिसम्पत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकार्ड बनाए रखा है।

(ख) कंपनी के पास अपने निश्चित परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन का नियमित कार्यक्रम है जिसके द्वारा चरणबद्ध तरीके से निश्चित सम्पत्तियां सत्यापित की जाती है। इस कार्यक्रम के अनुसार वर्ष के दौरान कुछ निश्चित संपत्तियों का सत्यापन किया गया था और इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियों की सूचना नहीं मिली थी। हमारी राय में, कंपनी के विस्तार और इसकी प्रकृति के संबंध में भौतिक सत्यापन की यह आवधिकता उचित है|

(ग) अचल संपत्तियों के शीर्ष कार्यों कों कंपनी के नाम पर रखा जाता है।

2. वर्ष के दौरान कंपनी के पास किसी भी प्रकार की इनवेंटरी नहीं है, इसलिए प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

3. हमारे मत में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के तहत कंपनी अधिनियम 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध किसी कंपनी,फॉर्म,एलएलपी या अन्य पाटियों को कंपनी ने प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण प्रदान नहीं किया है तदनुसार आदेश के खंड (iii) (ए) से (सी) के प्रावोधान कंपनी पर लागू नहीं है इस लिये इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है ।

4. हमारे मत में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ऋण,निवेश, गारंटी एवं सुरक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का पालन किया गया है।

5. कंपनी ने जनता से किसी भी प्रकार का जमा स्वीकार नहीं किया है, इसलिए जनता स्वीकृत जमा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जरी किए गए निर्देश धारा 73 से 76 के प्रावधनों या अन्य प्रासंगिक प्रावधान और जनता से स्वीकृत जमा के संबंध में कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम 2015 लागू नहीं है ।

6. जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी द्वारा किए गये गतिविधियों के संबंध में अधिनियम की धारा 148 के उपधारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लागत अभिलेखों के रखरखाव का निर्दिष्ट नहीं किया गया है

7. (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा लेखा खातों की परीक्षा के आधार पर और अभिलेखों के अनुसार एमसीएल से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को छोड़कर कंपनी के पास कोई प्रत्यक्ष कर्मचारी नहीं है। भविष्य निधि बकाया की कटौती जमा वर्ष के दौरान लागू नहीं है। इसके अलावा कंपनी ने वर्ष के दौरान उत्पादन और विक्रय शुरू नहीं की है, सरकार को कोई सांविधिक देय नहीं है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2019 को उपर्युक्त के संबंध में कोई निर्विवाद देय राशि तिथि से छः महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान किसी भी विवाद के कारण आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, मूल्यवर्धित कर बकाया नहीं है।

8. हमारे मत में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने बैंको को पुनर्भुगतान करने में कोई चूक नहीं की है। कंपनी ने वित्तीय संस्थानों या सरकार से कोई ऋण नहीं लिया है और वर्ष के दौरान कोई ऋण पत्र जारी नहीं किया है।
9. किये गए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या ऋण उपकरणों और सावधि ऋण सहित सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से धन प्राप्त नहीं किया है। तद्नुसार आदेश के खंड-3(IX) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।
10. किए गए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी द्वारा उसके अधिकारियो व कर्मचारियों द्वारा कोई धोखा-धड़ी नहीं पायी गई है या इसकी रिपोर्ट नहीं की गई है।
11. कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रबंधकीय पारिश्रमिक भुगतान नहीं किया है इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-5 के साथ पढ़ी गई धारा-197 के प्रावधान लागू नहीं है
12. हमारे मत में कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है इसलिए आदेश के धारा-4(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।
13. हमारे मत में संबंधित पार्टियों के साथ सभी प्रकार के लेन-देन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-177 एवं 188 के अनुपालन में है और लागू लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में विवरणों का खुलासा किया गया है।
14. किये गए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान समीक्षा में किसी भी अधिमान्य आवंटन या शेयरों की निजी नियुक्ति पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋण पत्र तैयार नहीं की है। तद्नुसार आदेश के खंड-3(xiv) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है और इसलिए इसपर टिप्पणी नहीं की गई है।
15. किए गए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं एवं हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तिओं के साथ कोई गैर नगदी लेनदेन नहीं किया है। तद्नुसार आदेश के अनुच्छेद-3(xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं इसलिए इसपर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
16. हमारे मत में कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा-45(आई.ए) के अंतर्गत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है और तद्नुसार आदेश की धारा-3(xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है और इसलिए टिप्पणी नहीं की गई है।

स्थान- भुवनेश्वर
दिनांक : 27.04.2019

कृते दास एंड दास की ओर से
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः322926 ई
ह/-
राजेन्द्र कुमार दास, एफ.सी.ए.
भागीदार
सदस्यता संख्या-057342

अनुलग्नक-ख

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रतिवेदनः

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के साथ मैसर्स महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड(''कंपनी'') के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षा किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्वः-

भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में आंतरिक नियंत्रक के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसे बनाये रखने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूप रेखा, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो अपने व्यापार के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढ़ंग से परिचालन कर रहे थे। जिसमें संबंधित कंपनी के नीतियों का पालन करना, इसकी संपत्ति की सुरक्षा, रोकथाम और धोखाधड़ी का पता लगाना और त्रुटियां, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता, पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत् आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन ("मार्गदर्शन नोट") और आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी लेखा परीक्षा पर मानक, धारा-143(10) के तहत् निर्धारित समझे जाने वाले मानदंडों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक हमारे लेखा परीक्षा का आयोजन किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजनाओं का पालन करें एवं उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें कि वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित किया गया है और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढ़ंग से संचालित होते हैं तो उसे बनाये रखा गया है।

हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन और उनकी प्रचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्ता के बारे में लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं शामिल हैं। हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी के जोखिम का आकलन करना और आकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूप रेखा और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतफहमी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर राय के आधार पर प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उचित हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय प्रतिवेदन पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता और भारतीय लेखांकन मानक समेत आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय प्रतिवेदन पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल है। (1) अभिलेखों के रखरखाओं से संबंधित जो कंपनी के संपत्ति के लेनदेन एवं स्वभाव को उचित रूप से दर्शाएं (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर भारतीय लेखांकन मानक सहित स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतो के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन दर्ज किये जाते हैं और कंपनी की रसीदे एवं व्यय केवल प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किये जा रहे हैं तथा (3) कंपनी के परिसम्पत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं:-

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित सीमाओं की वजह से, नियंत्रण की अनुचित या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलतफहमी हो सकत है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही भविष्य की अवधि में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में बदलावों के कारण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

मत

हमारी राय में, एसीएआई द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय प्रतिवेदन पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च 2019 तक प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे।

उनके लिए और उनकी तरफ से

दास एंड दास
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 322926**ई**
हस्त /-
राजेंद्र कुमार दास, **एफ़सीए**
साझेदार
सदस्यता सं.: 057342

स्थान: **भुवनेश्वर**
दिनांक: 27 **अप्रैल 2019**

अनुलग्नक – ग

कंपनी का नाम: महानदी बेसिन पावर लिमिटेड, भुवनेश्वर, ओड़िशा

वित्तीय वर्ष: 2018-19

कंपनी अधिनियम, 2013 के 143(5) के सी एंड जी कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रतिवेदन

क्र	निर्देश	वैधानिक लेखा परीक्षक का जवाब
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर के खातों की विश्वसनीयता पर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ को वित्तीय निहितार्थ, के साथ बताया जा सकता है, यदि कोई हो।	जैसा कि सूचित किया गया है कि कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित की कोई व्यवस्था नहीं है।
2.	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए कर्ज / ऋण / ब्याज आदि के छूट / राइट ऑफ का मामला हुआ है? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।	हमें दी गई जानकारी के अनुसार, लेखा परीक्षा के तहत वर्ष के दौरान मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा दिये गए कर्ज / ऋण / ब्याज आदि की छूट / राइट ऑफ के मामले नहीं थे।
3.	क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्य धनराशि का नियमों और शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी को केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्य नहीं है। इसलिए उपयोग का सवाल ही नहीं उठता।
	स्थान: भुवनेश्वर **दिनांक: 27 अप्रैल 2019**	**दास एंड दास** **सनदी लेखाकार** **फर्म पंजीकरण सं.: 322926ई** **ह/-** **राजेंद्र कुमार दास, एफ़सीए** **साझेदार** **सदस्यता सं.: 057342**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिए गए वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है । अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143, धारा 143(10) के तहत निर्धारित मानक लेखा परीक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उनके द्वारा लेखा परीक्षा, दिनांक 27 अप्रैल, 2019 में ऐसा करने का उल्लेख किया गया है।

मैने भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखाकार के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण का पूरक लेखा परीक्षण ना करने का निर्णय किया है।

कृते एवं भारत के लेखा नियंत्रक एवं
महालेखाकार की ओर से
हस्ता/-
(सुपर्णा देब)
प्रमुख जनरल
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखा परीक्षा बोर्ड-II कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 20.05.2019